रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31102026-277556
CG-TL-E-31102026-277556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5626] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5626] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 26 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5851(अ).— रेलवे अधिनियम,1989(1989 का 24)(इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20 ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बातसे संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिला में अकोला – खंडवा ब्रॉडगेज लाइन आमान परिवर्तन,एतदद्वारा ऐसी भूमिका अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है.

उक्त भूमि में रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धार(I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधी के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप.विभागीय अधिकारी एवं भूमी अधिग्रहण अधिकारी अकोट, अकोला जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी उप.विभागीय अधिकारी एवं भूमी अधिग्रहण अधिकारी अकोट, अकोला जिला को लिखित रूप में और आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तिको स्वीकार या

अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य मे विशेष रेलवे परियोजना अर्थात अकोला – खंडवा आमान परिवर्तन हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का किसी संरचना संहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

अधिग्रहण की जाने वाली भूमी का विवरण – यात्री और माल सुविधा के लिए अकोला जिले में अकोला – खंडवा आमान परिवर्तन परियोजना.

राज्य : महाराष्ट्र **जिला : अकोला**

अ. क्र.	भूमिधारक का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	भू-अधिग्रहण के लिए अनुमानित क्षेत्र (हे.आर/ चौ.मी)	7/12 अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र हेक्टर (हे.आर/ चौ.मी)	मामले का विवरण
तालुका : तेल्हारा				**गाव : मालठाणा बु.**	
1	अफजल खान कादिरखान	40	0.040	0.81.00	अकोला – खंडवा ब्रॉडगेज रेलवे परिवर्तन परियोजना ता. तेल्हारा जिला. अकोला के अंतर्गत यात्री एवं माल- ढुलाई सुविधा के लिए भूमी अधिग्रहण **मामला क्रमांक** LAQ-47/1/मालठाणा/2025-26
तालुका : तेल्हारा				**गाव : मालठाणा खु.**	
2	वकीलुद्दीन रियाजुद्दीन	40	0.030	2.57.00	अकोला – खंडवा ब्रॉडगेज रेलवे परिवर्तन परियोजना ता. तेल्हारा जिला. अकोला के अंतर्गत यात्री एवं माल- ढुलाई सुविधा के लिए भूमी अधिग्रहण **मामला क्रमांक** LAQ-47/1/मालठाणा/2026-27
		कुल	**0.070**	**3.38.00**	

[फा. सं. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20A/241026]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण– I

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 26th October, 2026

S.O. 5851(E).— in exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railway Act.1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Akola – Khandwa Broad Gauge Conversion in Akola district in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority , namely Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Akot, Akola district in writing and shall be set out the grounds there of and the competent authority Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Akot, Akola district shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by legal practitioner and may , after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary , by , order , either allow or disallow the objections

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project namely – Akola – Khandwa Broad Gauge Conversion in the state of Maharashtra.

Description of Land in Acquisition: - Project of Akola – Khandwa Broad Gauge Conversion for passenger and freight facility.

State – Maharashtra **Dist.-Akola**

Sr. No.	Name of Land Holder	Survey No./ Gut No.	Approximate Land to be Acquired (He.R/Sqm)	Land Acquisition Area as per 7/12 (He.R/Sqm)	Details of the case
Taluka: Telhara					**Village: Malthana Bk.**
1	Afzal Khan Kadirkhan	40	0.040	0.81.00	Akola-Khandwa Broad Gauge Railway Conversion Project Taluka. Telhara District. Akola Land Acquisition for Passenger and Freight Facility **Case Number** LAQ-47/1/Malthana/2025-26
Taluka: Telhara					**Village: Malthana kh.**
2	Vakiluddin Riazuddin	40	0.030	2.57.00	Akola-Khandwa Broad Gauge Railway Conversion Project Taluka. Telhara District. Akola Land Acquisition for Passenger and Freight Facility **Case Number** LAQ-47/1/Malthana/2026-27
		Total	**0.070**	**3.38.00**	

[F. No. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20A/241026]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.31 11:38:22 +05'30'